

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

5

पीठारीन अधिकारी:-दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० अपील 02/2023

दायर दिनांक: 03.01.2023

उनवान

1. उदेशिंह पिता बिशनसिंह जाति राजपूत नि.पड़ियारखेडी तहसील पिडावा
—अपीलांट

बनाम

1. दिलराजसिंह पि.प्यारसिंह जाति राजपूत नि.पड़ियारखेडी तहसील पिडावा
2. नारायणसिंह पि. प्यारसिंह जाति राजपूत नि.पड़ियारखेडी तहसील पिडावा
3. बजरंगसिंह पि. प्यारसिंह जाति राजपूत नि.पड़ियारखेडी तहसील पिडावा
4. गोपालकुंवर पुत्री प्यारसिंह जाति राजपूत नि.पड़ियारखेडी तहसील पिडावा
5. जसवंतकुंवर पुत्री प्यारसिंह जाति राजपूत नि.पड़ियारखेडी तहसील पिडावा
6. रमेशकुंवर पुत्री प्यारसिंह जाति राजपूत नि.पड़ियारखेडी तहसील पिडावा
7. शारदाबाई पत्नी प्यारसिंह जाति राजपूत नि.पड़ियारखेडी तहसील पिडावा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिडावा

— रेस्पोंडेन्टगण

अपील इन्तकाल सं. 581 दिनांक 20.10.2020 ग्राम पंचायत कोटडी

अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :-

वकील अपीलांट :- श्री नीलकमल त्रिवेदी

वकील रेस्पोंडेन्टस :- श्री पूरिलाल राठौर



आदेश

दिनांक : 16.06.2025.

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्त निम्न कारणों से ग्राम पंचायत कोटडी के द्वारा ग्राम पड़ियारखेडी के नामांतरण संख्या 581 दिनांक 20.10.2020 से असंतुष्ट होकर अपील पेश करता है— यह कि ग्राम पड़ियारखेडी हल्का पटवारी कोटडी तहसील पिडावा में वर्तमान खाता संख्या 93 की कुल कित्ता 7 कुल रकबा 7.5878 हैक्टेयर आराजी है जिसमें 1/2 हिस्से में अपीलान्त का नाम दर्ज है तथा शेष 1/2 हिस्से में रेस्पोंडेन्ट नं. 1 लगायत 7 का 1/14-1/14 हिस्से से नाम दर्ज है रेस्पोंडेन्टगण के




1
उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड (राज.)



हिस्से के विरुद्ध यह अपील नामांतरण संख्या 581 दिनांक 20.10.2020 पेश है। यह कि रैस्पोण्डेंटगण 1 लगायत 6 के पिता एवं 7 के पति प्यारसिंह पिता माधोसिंह जाति राजपूत निवासी पड़ियारखेड़ी ने अपने पक्ष में दिनांक 22.01.2005 को अपीलान्ट की माँ रतनबाई बैवा विशन सिंह के 1/2 हिस्से की उपपंजीयक कार्यालय सुनेल में पुस्तक संख्या 3 जिल्द सख्या 4 क्रम संख्या 1 पर तस्दीक करवायी थी जो फर्जी वसीयत थी। इस वसीयत से प्यारसिंह ने अपीलान्ट की माँ की मृत्यु दिनांक 02.02.2009 को होने के पश्चात सरपंच ग्राम पंचायत कोटड़ी से दिनांक 06.08.2009 को फोती नामांतरण संख्या 581 तस्दीक करवा लिया था। इसकी जानकारी होने के बाद अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश पिड़ावा में वसीयत निरस्त करवाने हेतु वाद संख्या 22/2011 दिनांक 02.07.2011 को बउनवान उदेसिंह पुत्र विशनसिंह बनाम प्यारसिंह पुत्र माधोसिंह के उनवान से पेश किया था जिसका माननीय सिविल न्यायाधीश पिड़ावा के द्वारा दिनांक 17.11.2022 को निर्णय एवं डिक्री अपीलान्ट के पक्ष में पारित करते हुए उपपंजीयक कार्यालय सुनेल में पुस्तक संख्या 3 जिल्द सख्या 4 क्रम संख्या 1 पर तस्दीक करवायी गई वसीयत को निरस्त कर दिया गया है। इसलिए माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश पिड़ावा द्वारा निरस्त की गई वसीयत के आधार पर दिनांक 06.08.2009 को सरपंच ग्राम पंचायत कोटड़ी द्वारा तस्दीक किया गया नामांतरण संख्या: 581 निरस्त होने योग्य है क्योंकि दस्तावेज वसीयत नामा दिनांक 22.01.2005 अब अस्तित्व में नहीं रहा है। इसलिए फोती नामांतरण संख्या 581 दिनांक 20.10.2020 शून्य हो चुका है। यह कि वसीयत के आधार पर प्यारसिंह पिता माधोसिंह के नाम विवादग्रस्त आराजी का नामांतरण संख्या 342 तस्दीक हुआ था लेकिन न्यायालय सिविल न्यायाधीश पिड़ावा के द्वारा दिनांक 17.11.2022 को वसीयत को निरस्त कर दिया गया है। नामांतरण संख्या 581 दिनांक 20.10.2020 को प्यारसिंह की मृत्यु के पश्चात फोती नामांतरण के रूप में दर्ज हुआ है प्यारसिंह के नमा दर्ज हुए नामांतरण का दस्तावेज वसीयत निरस्त हो चुकी है इसलिए प्यारसिंह की मृत्यु के पश्चात दर्ज हुए फोती नामांतरण संख्या 581 कानून में शून्य हो जाने से नामांतरण संख्या 581 निरस्त होने योग्य है। यह कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामांतरण संख्या 581 को निरस्त किया




 उपखण्ड अधिकारी
 पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

2


जाकर अपीलान्ट की माँ मृतक रतनबाई बैवा बिशनसिंह का अपीलान्ट एक मात्र वारिस होने से उसके 1/2 हिस्से पर अपीलान्ट का नाम दर्ज का आदेश दिया जाना भी न्यायहित में आवश्यक है। यह कि अपील अपीलान्ट अवधि मध्य माननीय न्यायालय में पेश है क्योंकि दिनांक 17.11.2022 को नामांतरण संख्या 581 के दस्तावेज वसीयत दिनांक 22.01.2005 को माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश पिडावा द्वारा निरस्त किया गया है इसलिए अपील की अवधि दिनांक 17.11.2022 के पश्चात शुरू होती है। यह कि अपील अपीलान्ट माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में होने से पेश है। यह कि अपील अपीलान्ट उचित कोर्ट फीस पर न्यायालय में पेश है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत कोटड़ी के द्वारा तस्दीक ग्राम पड़ियारखेड़ी के नामांतरण संख्या 581 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार पिडावा रैस्पोंडेंट नं. 7 को आदेश दिया जावे कि ग्राम पड़ियारखेड़ी की खाता संख्या: 93 की कुल किता 7 कुल रकबा 7.5878 हैक्टेयर आराजी पर मृतक रतनबाई बैवा बिशनसिंह के 1/2 हिस्से पर अपीलान्ट के नाम नामांतरण दर्ज किये जावे।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट्स की ओर से एडवोकेट श्री पूरिलाल राठौर उपस्थित हुए जिन्होंने जवाब पेश नहीं कर सीधी बहस का निवेदन किया।

3. अपीलान्ट्स की ओर से अपील के समर्थन में ग्राम परिहारखेड़ी नामान्तरण संख्या 581 दिनांक 23.09.2020 की सत्यप्रति, ग्राम परिहारखेड़ी का खाता सं. 93 जमाबंदी सं. 2074-77 की नकल एवं सिविल न्यायालय पिडावा का निर्णय व डिक्री दिनांक 17.11.2022 उनवान उदेसिंह बनाम प्यारसिंह वगै. की छायाप्रति पेश की।

4. रेस्पोंडेन्ट्स की ओर से प्रकरण संख्या सीए 24/2022 प्यारसिंह बनाम उदयसिंह की जिला अपर न्यायाधीश झालावाड की आदेशिका दिनांक 07.04.2025, अपील संख्या 24/2022 उनवान प्यारसिंह वगै. बनाम उदेसिंह




उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड (राज०)

3



की सत्यप्रति, एवं अपील की सुनवाई का सूचना पत्र की असल प्रति प्रस्तुत की गयी।

5. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस अपील सुनी गई। अभिभाषक अपीलांत ने बहस के दौरान अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पडियारखेडी पटवार हल्का कोटडी तहसील पिडावा की वादग्रस्त आराजी हाल खाता सं. 93 कुल किता 7 रकबा 7.5878 है. भूमि रतनबाई बेवा विशनसिंह हि. 1/2 व उदयसिंह पुत्र विशनसिंह हि. 1/2 दर्ज रिकर्ड थी। रतनबाई अपना हिस्सा 1/2 जरिये कथित रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 22.01.2005 प्यारसिंह पि. माधोसिंह के पक्ष में वसीयत कर दी गई थी। कथित वसीयतकर्ता रतनबाई के दिनांक 02.02.2009 को फोट होने के बाद वसीयत के आधार पर ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा प्यारसिंह पि. माधोसिंह के पक्ष में नामा.सं. 342 दिनांक 06.08.2009 निर्णित किया गया था और हिस्सा 1/2 पर प्यारसिंह का नाम दर्ज हुआ। प्यारसिंह के फोट होने के बाद फोती नामान्तरण सं. 581 दिनांक 20.10.2020 से वादग्रस्त आराजी रेस्पोंडेन्टस के खाते दर्ज हुई है। यह नामान्तरण भी प्रारम्भ से शून्य है। अपीलांत को जैसे ही उक्त नामान्तरण की जानकारी हुई तो अपीलांत द्वारा माननीय सिविल न्यायालय पिडावा के समक्ष दीवानी वाद सं. 22/2011 उदयसिंह बनाम प्यारसिंह दायर किया गया जिसमें सिविल न्यायालय में अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17.11.2022 से रतनबाई बेवा विशनसिंह द्वारा प्यारसिंह पि. माधोसिंह के पक्ष में की गई वसीयत दिनांक 22.01.2005 को निरस्त कर दिया गया और वसीयत को सिविल न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने से उक्त वसीयत के आधार पर निर्णित किये गये नामान्तरण संख्या 342 स्वतः ही प्रभावशून्य हो गया है और इस न्यायालय द्वारा अपील सं. 01/2023 उदेसिंह बनाम दिलराज में अपील अपीलांत को स्वीकार किया जाकर नामा.सं. 342 दिनांक 06.08.2009 को प्रभावशून्य घोषित कर मृतक खातेदार रतनबाई बेवा विशनसिंह के हिस्से की 1/2 भूमि को विधिक वारीसानो के नाम दर्ज करने का आदेश दिनांक 27.05.2025 पारित किया जा चुका है। वसीयतनामा के सिविल न्यायालय से खारिज होने के आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होते ही अपीलान्त द्वारा माननीय न्यायालय में अपील दायर कर दी गई। आगे तर्क किया कि सिविल न्यायालय पिडावा के उक्त



4

✓
उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला रायचूर (राज०।)



(1)

निर्णय के विरुद्ध कोई स्थगन आदेश वर्तमान में नहीं है। अतः जिस वसीयतनामा दिनांक 22.01.2005 के आधार पर वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 7 के पिता/पति प्यारसिंह के खाते दर्ज हुई थी उसे सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा खारीज किया जा चुका है और इसलिए ऐसे वसीयतनामा के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा दर्ज नामा.सं. 342 को भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा द्वारा अपील सं. 01/2023 उदेसिंह बनाम दिलराज में अवैध व प्रभावशून्य मानकर खारीज किया जाकर वसीयतकर्ता मृतक रतनबाई के हिस्से पर फौती नामान्तरण से वारिस-अपीलांट का नाम दर्ज किया जाने के आदेश जारी किये गये हैं। अतः जब नामा.सं. 342 को प्रभाव शून्य घोषित कर खारीज किया जा चुका है तो इसके आधार पर दर्ज खातेदार प्यारसिंह पुत्र माधोसिंह का फौती नामान्तरण सं. 581 दिनांक 20.10.2020 भी प्रारम्भ से प्रभाव शून्य होने से खारीज फरमाया जावे।

6. अभिभाषक रेस्पोडेन्टस द्वारा उक्त बहस का पूरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि माननीय सिविल न्यायालय पिडावा द्वारा दीवानी प्रकरण सं. 22/2011 जारी निर्णय व डिक्री दिनांक 17.11.2022 की अपील सं. 24/2022 प्यारसिंह जरिये विधिक प्रतिनिधी बनाम उदेसिंह माननीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश झालावाड के समक्ष पेश की जा चुकी है जिसमें रेस्पोडेन्ट उदयसिंह द्वारा बहस अपील हेतु बार बार समय लिया जा रहा है। प्रकरण में पिछली तारीख पेशी दिनांक 07.04.2025 थी। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश झालावाड द्वारा प्रकरण में बहस हेतु दिनांक 07.07.2025 की तारीख नियत की है। अभिभाषक रेस्पोडेन्टस द्वारा सिविल न्यायालय पिडावा के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.11.2022 को त्रुटीपूर्ण बताते हुए माननीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश झालावाड के निर्णय होने तक हस्तगत प्रकरण को लंबित रखने का एवं कोई निर्णय नहीं करने का निवेदन किया अन्यथा माननीय एडीजे कोर्ट झालावाड से न्यायालय एमजेएम पिडावा का निर्णय खारीज किये जाने की स्थिति में पक्षकारों के मध्य वाद बहुलता बढ़ेगी।



7. उभयपक्ष की बहस अपील के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांटस द्वारा पेश नामान्तरण संख्या 342 दिनांक 06.08.2009 के अवलोकन से जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी तत्कालीन खाता संख्या

Up
उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड (राज०)

111 किता 7 रकबा 30 बीधा आराजी रतनबाई बेवा बिशनसिंह व उदयसिंह पुत्र बिशनसिंह जाति राजपुत हिस्सा बराबर के खाते दर्ज रिकार्ड थी। अपीलान्ट द्वारा पेश रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 22.01.2005 पुस्तक नम्बर 3 जिल्द संख्या 4 पृष्ठ संख्या 7 एवं नामान्तरण पंजिका के कालेम संख्या 14 व 16 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार पिडावा के आदेश की पालना में वसीयतनामा दिनांक 22.01.2005 के आधार पर वसीयतकर्ता रतनबाई बेवा बिशनसिंह हिस्सा 1/2 के स्थान पर वसीयतग्रहिता प्यारसिंह पिता माधुसिंह राजपुत का नाम दर्ज करने का नामान्तरण संख्या 342 हल्का पटवारी द्वारा खोला गया जिसे भूअभिलेख द्वारा प्रमाणित कर ग्राम पंचायत कोटडी के समक्ष पेश किया गया। ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा उक्त वसीयत नामान्तरण को प्यारसिंह पिता माधुसिंह के पक्ष में निर्णित किया गया। अपीलान्ट द्वारा पेश सिविल न्यायालय पिडावा के दीवानी प्रकरण संख्या 22/2012 उदेसिंह बनाम प्यारसिंह में दिये गये निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.11.2022 के अवलोकन से जाहिर है कि जिस रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 22.01.2005 के आधार पर ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा प्यारसिंह पिता माधुसिंह के पक्ष में नामान्तरण संख्या 342 दिनांक 06.08.2009 निर्णित किया गया था, वह वसीयतनामा सिविल न्यायालय पिडावा द्वारा निरस्त किया जा चुका है। नामान्तरण संख्या 342 दिनांक 06.08.2009 को लेकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा के समक्ष पेश अपील सं. 01/2023 उदेसिंह बनाम दिलराज को इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.05.2025 से खारीज किया जाकर वादग्रस्त आराजी की मूल खातेदार मृतक रतनबाई बेवा बिशनसिंह के हिस्से पर उसके विधिक वारीसानो के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये है। नामा.सं. 342 को खारीज किये जाने से उसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुए खातेदार प्यारसिंह पि. माधुसिंह का नाम भी अवैधानिक व विधि विरुद्ध है। नामा.सं. 342 के अवैध व प्रभाव शून्य घोषित होने से मृतक खातेदार प्यारसिंह का फोती नामा.सं. 581 दिनांक 20.10.2020 अवैध व प्रभाव शून्य होगा और इसलिए खारीज किये जाने योग्य है।

8. उभयपक्ष इस तथ्य पर सहमत है कि रेस्पोंडेंटस द्वारा सिविल न्यायालय पिडावा के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 17.11.2022 के विरुद्ध न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश झालावाड़ में अपील संख्या 24/2022


५
उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज.)

6



नारायणसिंह बनाम उदेसिंह पेश कर रखी है जिसमें न्यायालय द्वारा कोई भी स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया है। रैस्पोंडेंट्स द्वारा पेश अपील संख्या 24/2022 नारायणसिंह बनाम उदेसिंह की आदेशिका के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त अपील में न्यायालय अपर जिलाधिश झालावाड़ में विगत तारीख पेशी दिनांक 07.04.2025 को निहित थी। प्रकरण वारंते बहस अपील दिनांक 07.07.2025 को नियत है। उक्त सिविल अपील में आज दिनांक तक न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश झालावाड़ से कोई निर्णय पारित नहीं हुआ है और न ही कोई स्थगन आदेश है। यदि भविष्य में न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश झालावाड़ के निर्णय से वसीयतनामा दिनांक 22.01.2005 की कानूनी वैधता प्रभावित होती है, तो उक्त वसीयतनामा के आधार पर निर्णित नामान्तरण संख्या 342 की कानूनी वैधता भी प्रभावित होगी और फलतः फोती नामा.सं. 581 की कानूनी वैधता भी प्रभावित हो सकती है। न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश झालावाड़ से उक्त अपील संख्या 24/2022 के निर्णय के इन्तजार में हस्तगत अपील सं. 2/2023 में निर्णय पारित नहीं करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः निर्णय सुनाने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, हस्तगत प्रकरण में निर्णय लिखा जाकर सुनाना आवश्यक है।

9. रतनबाई बेवा बिशनसिंह द्वारा प्यारसिंह पिता माधोसिंह के पक्ष में की गई रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 22.01.2005 को सिविल न्यायालय पिड़ावा द्वारा दीवानी प्रकरण संख्या 22/2011 में अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17.11.2022 द्वारा निरस्त किये जाने और उक्त निर्णय व डिक्री पर अपीलीय न्यायालय-अपर जिलाधिश झालावाड़ कोई स्थगन आदेश नहीं होने से ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा वसीयतनामा के आधार निर्णित नामान्तरण संख्या 342 दिनांक 06.08.2009 कानूनी रूप से अवैध व प्रभाव शून्य होने से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा के समक्ष पेश अपील सं. 01/2023 उदेसिंह बनाम दिलराज मे दिये गये निर्णय दिनांक 27.05.2025 से खारीज किया जाकर वादग्रस्त आराजी की मूल खातेदार मृतक रतनबाई बेवा बिशनसिंह के हिस्से पर उसके विधिक वारीसानो के नाम दर्ज करने के तहसीलदार को आदेश दिये गये है।


उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)




10. वसीयत ग्रहिता प्यारसिंह पिता माधोसिंह से फौत होने से जरिये फौती नामान्तरण संख्या 581 दिनांक 20.10.2020 से प्यारसिंह के स्थान पर उनके वारिसान- रेस्पॉन्डेंट क्रम 1 से 7 का नाम दर्ज हो चुका है। नामा.सं. 342 के खारीज हो जाने से फौती नामा.सं. 581 भी प्रभाव शून्य हो गया है और इसलिए खारीज किये जाने योग्य है। यह सुस्थापित कानूनी सिद्धान्त है कि यदि कोई अन्तरण/नामान्तरण सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित किया जा चुका है, तो उसी आराजी पर तदोपरान्त हुए सभी अन्तरण/नामान्तरण भी प्रारम्भ से अवैध एवं प्रभावशून्य हो जायेंगे। अतः नामा.सं. 342 के खारीज होने से ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा दर्ज मृतक प्यारसिंह का फौती नामान्तरण संख्या 581 भी खारिज योग्य है। माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ ने 1992 आरआरडी 651 में भी पूर्ववर्ती अन्तरण के प्रभावशून्य होने से पश्चात्वर्ती अन्तरण/रजिस्ट्री को शून्य घोषित किया गया है। इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपील डिक्री 6408/2011/चितौड़गढ उनवान भूरीबाई बनाम शम्भूलाल में भी इसी सिद्धान्त को पुनः दोहराया है।

11. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण, सिविल न्यायालय पिड़ावा के निर्णय द्वारा वसीयत दिनांक 22.01.2005 को निरस्त किये जाने एवं अपील सं. 01/2023 में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.05.2025 के आधार पर ग्राम पडियारखेडी हल्का कोटडी तहसील पिड़ावा की आराजी हाल खाता संख्या 93 किता 7 रकबा 30 बीघा यानि 7.5878 हैक्टेयर के संबंध में ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा निर्णित मृतक खातेदार प्यारसिंह का फौती नामा.सं. 581 दिनांक 20.10.2020 अवैध व प्रभाव शून्य होकर खारिज योग्य होने से अपीलांत की अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट. स्वीकार योग्य है।

--:क्रियात्मक आदेश:--

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर अपीलांत की अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट0 न्यायहित में स्वीकार की जाती है। ग्राम पडियारखेडी हल्का कोटडी तहसील पिड़ावा की आराजी हाल खाता संख्या 93 किता 7 रकबा 30 बीघा यानि 7.5878 हैक्टेयर के संबंध में ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा निर्णित मृतक खातेदार प्यारसिंह पि. माधोसिंह का फौती नामा.




उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालंधर (राज.)

सं. 581 दिनांक 20.10.2020 को अवैध एवं प्रभावशून्य होने से निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार उक्तानुसार पालना सुनिश्चित करें।

यह निर्णय आज दिनांक 16.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Handwritten signature
16/06/2025

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधीक्षक (विभागीय)
पिंडवारा जिला न्यायालय, सूरजपुर (राज.)

